"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2022—चैत्र 11, शक 1944

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 फरवरी 2022

क्रमांक ई 1-12/2020/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2008 आवंटन वर्ष के अधिकारी श्री राजेश सिंह राणा को उनसे कनिष्ठ अधिकारी श्री नीरज कुमार बनसोड, भा.प्र.से. (2008) की प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति तिथि अर्थात दिनांक 01-01-2021 से सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल-13) में नियुक्त किया जाकर प्रबंध संचालक, छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम के पद पर पदस्थ करते हुए विशेष सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, संचालक, राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद एवं मिशन संचालक, राज्य साक्षरता मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.

श्री राजेश सिंह राणा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत् प्रबंध संचालक, छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 फरवरी 2022

क्रमांक एफ 20-14/2022/11/(6).—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत कंडिका 15.13, 15.21 एवं परिशिष्ट-6.19 के अनुसरण में "औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन" के माध्यम से राज्य में वृहद, मेगा, अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना हेतु घोषित नीति के अंतर्गत मेसर्स एसबीटी टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड को उनके द्वारा एम.ओ.यू. में प्रस्तावित "टेक्सटाईल उद्योग" हेतु निम्नानुसार "विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज" घोषित करता है :—

विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज की सामान्य नियम व शर्तें

(1) इस पैकेज का लाभ मेसर्स एसबीटी टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड को घोषणा की दिनांक से पूर्व निष्पादित कर चुके एम.ओ.यू. में वर्णित परियोजना के लिये प्राप्त होगा.

(2) इस पैकेज में घोषित "आर्थिक निवेश प्रोत्साहन" की पात्रता के लिए आवश्यक होगा कि उद्योग द्वारा नीति में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप मेगा प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित अर्हता पूर्ण किया जावे, अर्थात् नीति के परिशिष्ट-1 के बिन्दु क्रमांक-11 में वर्णित तालिका के अनुक्रमांक-4 के अनुसार प्रस्तावित उद्योग में रु. 10 करोड़ से अधिक का नवीन स्थायी पूंजी निवेश कर व्यावसायिक उत्पादन दिनांक 31-10-2024 के पूर्व प्रारंभ किया जाना आवश्यक होगा.

(3) जिन मदों में आर्थिक निवेश प्रोत्साहन दिया जाना है उनमें इकाई के द्वारा वार्षिक आधार पर मदवार भुगतान की गई/व्यय की गई राशि से अधिक आर्थिक निवेश प्रोत्साहन (अनुदान, छूट, रियायतें) दिया जाना मान्य नहीं होगा.

(4) इकाई को निम्नलिखित तालिका अनुसार अधिकतम आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकेगा :—

क्र. (1)	आर्थिक निवेश प्रोत्साहन मद का नाम (2)	मान्य किया गया आर्थिक निवेश प्रोत्साहन (3)
1.	स्टाम्प शुल्क छूट	पूर्ण छूट
2.	विद्युत शुल्क छूट	नियम/पात्रतानुसार वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष तक पूर्ण छूट प्राप्त किये जाने की पात्रता होगी.
3.	नेट एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति	नियम/पात्रतानुसार वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 9 वर्षों तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत तक सीमित प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने की पात्रता होगी.

(1)	(2)	(3)
4.	ब्याज अनुदान	विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत मध्यम उद्योग श्रेणी के लिए "अ" श्रेणी के विकासखंड में उच्च प्राथमिकता उद्योग हेतु निर्धारित सीमा के आधार पर 35 प्रतिशत, अधिकतम राशि रुपये 35 लाख, 6 वर्ष तक के लिये प्राप्त किये जाने की पात्रता होगी.
5.	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान	विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत मध्यम उद्योग श्रेणी के लिए "अ" श्रेणी के विकासखंड में उच्च प्राथमिकता श्रेणी उद्योग हेतु निर्धारित स्थाई पूंजी निवेश के मदों में हुए निवेश का अधिकतम 40 प्रतिशत अथवा राशि रु. 80 लाख प्राप्त किये जाने की पात्रता होगी.
6.	मेगा श्रेणी के प्रस्तावित उद्योग के आधार पर नीति के परिशिष्ट-1 के बिंदु क्रमांक-18 के प्रावधान के अनुसार नवीन इकाई के प्रकरण में मान्य निवेश की सीमा अवधि.	इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से चौबीस माह तक किए गए मान्य स्थायी पूंजी निवेश को कुल निवेश में शामिल किये जाने की पात्रता होगी.
7.	प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान, दिव्यांग (नि:शक्त) रोजगार अनुदान.	नियम/पात्रतानुसार अनुदान प्राप्त किये जाने की पात्रता होगी.

(5) इस पैकेज के अंतर्गत इकाई को औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेन्ट अनुदान एवं इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट अनुदान) एवं औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में भू-आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/रियायत आदि आर्थिक निवेश प्रोत्साहन यथा की पात्रता नहीं होगी.

(6) इस पैकेज के अंतर्गत इकाई के अधिकतम रु. 20 करोड़ की अधिकतम सीमा को मान्य करते हुए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा राशि रु. 12 करोड़ अधिकतम 10 वर्षों में (अधिकतम रु. 1.2 करोड़ प्रतिवर्ष) (अर्थात् ग्राह्य राशि रु. 20 करोड़ के 60 प्रतिशत तक) प्रदान किया जा सकेगा.

(7) इस पैकेज के यथा आवश्यक विस्तृत क्रियान्वयन दिशा-निर्देश छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे.

यह अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझी जावेगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 फरवरी 2022

क्रमांक एफ 20-47/2015/11/(6).—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07-03-2015 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015 (यथासंशोधित-2021)" में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना के अध्याय-2 की कंडिका क्रमांक 2.5.7 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है अर्थात् :—

2.5.7— विभाग द्वारा आबंटित अविकसित भूमि/लैण्ड बैंक से आबंटित भूमि के आबंटन की दरें :— ऐसी भूमि, जो औद्योगिक प्रयोजन हेतु अधिग्रहित की गई है तथा जिस पर सर्वे एवं डिमार्केशन को छोड़कर अन्य कोई विकास व्यय नहीं किया गया है, को अविकसित भूमि माना जायेगा. ऐसी निजी भूमि अर्जन के वर्तमान मूल्य/गाईड लाईन मूल्य पर किये गये

व्यय में 10 प्रतिशत राशि एवं भूमि की प्रब्याजि निर्धारित की जायेगी. उस क्षेत्र में समीपस्थ निजी भूमि के अर्जन मूल्य/गाईड लाईन मूल्य में से जो भी अधिक हो, में 10 प्रतिशत राशि एवं 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज राशि जोड़ कर भू प्रब्याजि निर्धारित की जायेगी ऐसी अविकसित भूमि का आबंटन विशेष परिस्थितियों में शासन के अनुमोदन से ही हो सकेगा.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को हस्तांतरित शासकीय भूमि के आबंटन के मामले में होने की दशा में भी आबंटन दिनांक से वित्तीय वर्ष हेतु उस क्षेत्र में समीपस्थ निजी भूमि के गाईड लाईन मूल्य के 150 प्रतिशत दर तथा 10 प्रतिशत सेवा शुल्क (यथा लागू कर अतिरिक्त) की राशि जोड़ कर भू प्रब्याजि निर्धारित की जायेगी ऐसी अविकसित भूमि का आबंटन विशेष परिस्थितियों में शासन के अनुमोदन से ही हो सकेगा.

ऐसी अविकसित भूमि का वार्षिक भू-भाटक निर्धारित भू-प्रब्याजि का 3 प्रतिशत की दर से लिया जायेगा एवं इस भूमि पर संधारण शुल्क नहीं लिया जायेगा.

परंतु, भविष्य में यदि ऐसे अविकसित क्षेत्र में राज्य शासन/निगम कोई विकास कार्य प्रारंभ करता है तो पूर्व के भूमि आबंटन के प्रकरणों में भी औद्योगिक इकाईयों को राज्य शासन/सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा निर्धारित दरों पर भू-भाटक तथा संधारण शुल्क देना होगा.

परंतु, यदि किसी भूमि पर विकास कार्य प्रारंभ है, चाहे उस क्षेत्र में विकास पूर्ण नहीं हुआ है तो भी विकसित भूमि मानकर तदनुसार निर्धारित दरों से भू-प्रब्याजि, भू-भाटक तथा यथा निर्धारित संधारण शुल्क लिया जायेगा.

परंतु, नियमावली की कंडिका-2.13 के अंतर्गत लैण्ड बैंक से "4 हेक्टेयर या 10 एकड़ तक भूमि आबंटन" के मामलों में लीज होल्ड से फ्री-होल्ड होने वाली भूमि की प्रब्याजी के निर्धारण हेतु समीपस्थ विभागीय औद्योगिक क्षेत्रों में लागू प्रब्याजी की दर (संबंधित प्रयोजन हेतु) के आधार पर भूमि लीज होल्ड से फ्री-होल्ड करने हेतु देय राशि की गणना की जावेगी.

कंडिका के शेष बिन्दु यथावत रहेंगे.

(दो) उक्त अधिसूचना के अध्याय-3 की कंडिका क्रमांक 3.4.2.15 के पश्चात् नवीन कंडिका क्रमांक 3.4.2.16 का समावेश किया जाता है :—

3.4.2.16 — विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर विभागीय आबंटित अविकसित भूमि/लैण्ड बैंक से पट्टे पर आबंटित भूमि के हस्तांतरण के प्रकरणों में की दरें :— विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर विभागीय आबंटित अविकसित भूमि/लैण्ड बैंक से पट्टे पर आबंटित भूमि के हस्तांतरण के प्रकरणों में कंडिका 2.5.7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सांकेतिक भू-प्रब्याजि के निर्धारण के आधार पर हस्तांतरण शुल्क का निर्धारण किया जायेगा.

किन्तु, ऐसी दरें विभाग द्वारा विकसित समीपस्थ औद्योगिक क्षेत्र में लागू प्रब्याजि की दरों से अधिक नहीं होंगी. अर्थात् कंडिका 2.5.7 के अनुसरण में निर्धारित होने वाली अधिकतम सांकेतिक प्रब्याजि दरें विभाग द्वारा विकसित/संचालित समीपस्थ औद्योगिक क्षेत्र में लागू प्रब्याजि की दरों तक सीमित होगी.

यह संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जावेंगे.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 फरवरी 2022

क्रमांक एफ 20-49/2021/11/(6).—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत कंडिका 15.13, 15.21 एवं परिशिष्ट-6.19 के अनुसरण में "औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन" के माध्यम से राज्य में वृहद, मेगा, अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना हेतु घोषित नीति के अंतर्गत मेसर्स व्हीटेक प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड को उनके द्वारा राज्य शासन के साथ निष्पादित एम.ओ.यू. में प्रस्तावित "प्लास्टिक उत्पाद उद्योग" हेतु

निम्नानुसार "विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज" घोषित करता है :—

विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज की सामान्य नियम व शर्तें

(1) इस पैकेज का लाभ "मेसर्स व्हीटेक प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड" को इस अधिसूचना दिनांक से पूर्व निष्पादित किये जा चुके एम.ओ.यू. में वर्णित परियोजना के लिये प्राप्त होगा.

(2) इस पैकेज में घोषित "आर्थिक निवेश प्रोत्साहन" की पात्रता के लिए आवश्यक होगा कि उद्योग द्वारा नीति में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप मेगा प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित अर्हता पूर्ण किया जावे, अर्थात् नीति के परिशिष्ट–1 के बिन्दु क्रमांक–11 के अनुसार प्रस्तावित उद्योग में रु. 100 करोड़ या इससे अधिक का नवीन स्थायी पूंजी निवेश कर व्यावसायिक उत्पादन दिनांक 31–10–2024 के पूर्व प्रारंभ किया जाना आवश्यक होगा.

(3) जिन मदों में "आर्थिक निवेश प्रोत्साहन" दिया जाना है उनमें इकाई के द्वारा वार्षिक आधार पर मदवार भुगतान की गई/व्यय की गई राशि से अधिक आर्थिक निवेश प्रोत्साहन (अनुदान, छूट, रियायतें) दिया जाना मान्य नहीं होगा.

(4) इकाई को निम्नलिखित तालिका अनुसार अधिकतम आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकेगा :—

क्र. (1)	आर्थिक निवेश प्रोत्साहन मद का नाम (2)	मान्य किया गया आर्थिक निवेश प्रोत्साहन (3)
1.	स्टाम्प शुल्क छूट	पूर्ण छूट
2.	विद्युत शुल्क छूट	नियम/पात्रतानुसार वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष तक पूर्ण छूट प्राप्त किये जाने की पात्रता होगी.
3.	नेट एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति	नियम/पात्रतानुसार वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्षों तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत तक सीमित प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने की पात्रता होगी.
4.	ब्याज अनुदान	विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत मध्यम उद्योग श्रेणी के लिए "अ" श्रेणी विकासखंड में प्राथमिकता उद्योग हेतु निर्धारित सीमा के आधार पर 35 प्रतिशत, अधिकतम राशि रुपये 30 लाख प्रतिवर्ष 5 वर्षों के लिये प्राप्त किये जाने की पात्रता होगी.
5.	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान	विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत मध्यम उद्योग श्रेणी के लिए "अ" श्रेणी के विकासखंड में प्राथमिकता उद्योग हेतु निर्धारित स्थाई पूंजी निवेश के मदों में हुए निवेश का अधिकतम 35 प्रतिशत अथवा राशि रु. 70 लाख प्राप्त किये जाने की पात्रता होगी.
6.	मेगा श्रेणी के प्रस्तावित उद्योग के आधार पर नीति के परिशिष्ट–1 के बिंदु क्रमांक–18 के प्रावधान के अनुसार नवीन इकाई के प्रकरण में मान्य निवेश की सीमा अवधि.	इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से चौबीस माह तक किए गए मान्य स्थायी पूंजी निवेश को कुल निवेश में शामिल किये जाने की पात्रता होगी.
7.	प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान, दिव्यांग (नि:शक्त) रोजगार अनुदान.	नियम/पात्रतानुसार अनुदान प्राप्त किये जाने की पात्रता होगी.

(5) इस पैकेज के अंतर्गत इकाई को औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेन्ट अनुदान एवं इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट अनुदान) आदि आर्थिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता नहीं होगी.

(6) इस पैकेज के अंतर्गत इकाई के अधिकतम रु. 100 करोड़ की अधिकतम सीमा को मान्य करते हुए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा राशि रु. 60 करोड़ अधिकतम 10 वर्षों में (अधिकतम रु. 6 करोड़ प्रतिवर्ष) (अर्थात् ग्राह्य राशि रु. 100 करोड़ के 60 प्रतिशत तक) प्रदान किया जा सकेगा.

(7) इस पैकेज के यथा आवश्यक विस्तृत क्रियान्वयन दिशा-निर्देश छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे.

यह अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझी जावेगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 फरवरी 2022

क्रमांक एफ 20-70/2004/11/(6).—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-02/2002/11/6, दिनांक 07-01-2003 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 (यथा संशोधित-2021)" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना के नियम-3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थात् :—

नियम —3

(3.1) ऐसी वस्तुएं जो परिशिष्ट-1 में उल्लेखित हैं, की दरों एवं शर्तों का निर्धारण छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) द्वारा किया जावेगा तथा विभागों द्वारा परिशिष्ट-1 में उल्लेखित वस्तुओं का क्रय छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) द्वारा निर्धारित दरों व शर्तों के अंतर्गत राज्य के ऑनलाईन पोर्टल से सीधे किया जा सकेगा.

परिशिष्ट-1 के फर्नीचर वर्ग में सम्मिलित सभी वस्तुओं की तीन साल की परफारमेंस गारंटी (Performance Guarantee) हेतु प्रावधान रहेगा. इस 03 साल की अवधि में यदि मरम्मत की आवश्यकता होगी तो फर्नीचर प्रदायकर्ता ही बिना किसी शुल्क के उक्त रिपेयरिंग कार्य करेगा.

(3.2) **परिशिष्ट-2** में उल्लेखित (कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि, उद्यानिकी, प्रक्षेत्र वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि विपणन मंडी बोर्ड से संबंधित उत्पादन से विपणन तक की संपूर्ण क्रियाविधी एवं संबंधित गतिविधियों से संबंधित आईटमों) है, की दरों एवं शर्तों का निर्धारण "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" द्वारा किया जावेगा तथा विभागों द्वारा परिशिष्ट-2 में उल्लेखित वस्तुओं का क्रय "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" द्वारा निर्धारित दरों व शर्तों के अंतर्गत राज्य के ऑनलाईन पोर्टल से सीधे किया जा सकेगा.

(3.3) अन्य वस्तुएं जो परिशिष्ट-1 एवं 2 में उल्लेखित नहीं है, का क्रय संबंधित विभाग नियम-4 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसरण में करेंगे.

(दो) उक्त अधिसूचना के नियम-4 की उपनियम 4.3 के बिन्दु 4.3.2 में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थात् :—

नियम 4.3.2 — सीमित निविदा पद्धति :— साधारणत: ऐसे समस्त आदेशों के मामले में अपनाई जानी चाहिये जिसमें अनुमानित वार्षिक क्रय राशि रु. 10,001 से 1,00,000 (रुपए दस हजार एक से रुपए एक लाख) तक हो. इसमें निर्माताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क स्थापित कर क्रय किया जाता है. इसके लिए यदि विज्ञापन जारी किया जाये तो एक भारी राशि विज्ञापन पर खर्च होगी, इस लिये इससे बचने हेतु कम से कम तीन निर्माताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि या पंजीकृत निर्माता (जिस विभाग में प्रचलन हो) से सीमित निविदा के आधार पर क्रय किया जा सकेगा.

परंतु वे परिशिष्ट-1 की वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) द्वारा संचालित ई-मानक पोर्टल पर उपलब्ध न हों एवं परिशिष्ट-2 की वस्तुएं "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" की दरें निर्धारित न हों ऐसी वस्तुओं हेतु विभाग द्वारा नियम-4 में उपलब्ध प्रावधान का उपयोग कर उक्त सामग्री सीधे क्रय कर सकेगा, किन्तु ऐसे क्रय के लिये क्रेता विभाग को संबंधित सामग्री के तकनीकी स्पेसिफिकेशन (Technical Specification) का परीक्षण विक्रेता की साख एवं एल-1 मूल्य का निर्धारण स्वयं करेगा.

(तीन) उक्त अधिसूचना के नियम-4 की उपनियम 4.14 में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थात् :—

उपनियम 4.14 — किसी भी स्थिति में ऐसा आदेश प्रारंभिक आदेश देने के 6 माह के बाद नहीं दिया जायेगा तथा ऐसा करते समय वस्तु की पूर्व निविदा द्वारा निर्धारित दर मूल्य का परीक्षण क्रेता द्वारा करने के बाद यह प्रमाणित किया जायेगा कि उक्त निर्धारित दर/मूल्य वस्तु के सामान्य बाजार दर/मूल्य से अधिक नहीं है.

यह भी कि परिशिष्ट-1 की वस्तु होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सी.एस.आई.डी.सी.) एवं परिशिष्ट-2 की वस्तु होने की स्थिति में "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" द्वारा पुनरावृत्ति आदेश उसी स्थिति में दिया जायेगा, जबकि नया दर-अनुबंध निष्पादित न हुआ हो.

किन्तु, पूर्व दर अनुबंध की वैधता में समयावृद्धि छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी)/छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा की गई हो (जो कि किसी भी परिस्थिति में 6 माह से अधिक नहीं होगी) तथा ऐसा करते समय वस्तु के दर निर्धारण मूल्य का परीक्षण क्रेता द्वारा करने के बाद यह प्रमाणित किया जायेगा कि उक्त दर अनुबंध/मूल्य, वस्तु के सामान्य बाजार दर/मूल्य से अधिक नहीं है.

किन्तु दर अनुबंध के 1 वर्ष से अधिक हो जाने की स्थिति में किसी भी तरह का पुनरावृत्ति आदेश नहीं दिया जायेगा.

(चार) उक्त अधिसूचना के नियम-7 के उपनियम 7.1 से 7.5 तक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थात् :—

नियम-7 — जैसा कि नियम-3 में उल्लेखित है, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) परिशिष्ट-1 एवं "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" परिशिष्ट-2 की वस्तुओं की दरों एवं शर्तों का निर्धारण करेगा. विभागों द्वारा क्रय इन दरों व शर्तों के अंतर्गत निर्धारित इकाईयों से किया जा सकेगा. दरों व शर्तों के निर्धारण के लिये विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की जावेगी.

7.1 छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) परिशिष्ट-1 एवं "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" परिशिष्ट-2 के द्वारा विभिन्न निर्माणकर्ता/उत्पादनकर्ता एवं उनके अधिकृत प्रदायकर्ता का पंजीयन किया जावेगा.

7.1.1. छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) परिशिष्ट-1 एवं "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" परिशिष्ट-2 के क्रय प्रक्रिया में लगने वाला निरीक्षण शुल्क एवं अन्य व्यय वास्तविक दरों पर देय होगा.

7.2 निविदा के माध्यम से वस्तुओं के दर निर्धारण नियम-4 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में किया जावेगा. इस हेतु पंजीकृत इकाईयों को मान्य किया जावेगा तथा तद्नुसार सूची प्रकाशित की जायेगी.

7.3 सामान्यत: सामग्रियों की दरें एक वर्ष के लिये मान्य होंगी. परिशिष्ट-1 एवं 2 की वस्तु होने की स्थिति में नया दर अनुबंध निष्पादित न होने पर पूर्व दर अनुबंध की वैद्यता में अधिकतम 6 माह की वृद्धि वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा की जा सकेगी, जो कि किसी भी परिस्थिति में मूल दर अनुबंध अवधि का समयावधि वृद्धि अवधि जोड़कर कुल एक वर्ष छ: माह से अधिक नहीं होगी.

7.4 "छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) परिशिष्ट-1 एवं "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" परिशिष्ट-2 के द्वारा सभी वस्तुओं के मानक मापदंड का निर्धारण किया जायेगा. जिसमें समय-समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जायेगा तथा इसके लिए विशेषज्ञों की सहायता लेगा.

7.5 "छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी)" परिशिष्ट-1 एवं "छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड" परिशिष्ट-2 में उल्लेखित वस्तुओं के बाजार मूल्यों की सतत समीक्षा करेगा.

(पांच) उक्त अधिसूचना के नियम 4.4.2 में वर्णित निविदा सूचना के प्रारूप जो कि वर्तमान में परिशिष्ट-2 है, को परिशिष्ट-3 क्रमांकित करते हुए छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा निर्धारित किये जाने वाले नवीन परिशिष्ट-2 में निम्नांकित वस्तुओं को सूचीबद्ध किया जाता है अर्थात् :—

परिशिष्ट-2

स. क्र. (1)	सामग्री का नाम (2)
1.	Agriculture Pesticide (Chemical)/Bio Pesticide (Bio)
2.	Agriculture Micronutrient
3.	Bio Fertilizer & Organic Fertilizer (Va Mycorrhiza Etc)
4.	Weedicide (Post Emergence & Pre Emergence) Cereals, Pulses, Oil Seed & Vegetables
5.	Oil Cake, Neem Cake, Rice Bran & Bone Mill
6.	Vermi Culture (Live Earth Material)
7.	Horticulture Produce Processing And Training Equipment (Pre Fabricated Pack House)
8.	Cattle And Poultry Feed Material
9.	Tissue Culture Plants Banana, bamboo, Shugarcane
10.	Bullock Drawn hand Operated Agricultural Implements
11.	Grafted Vegetable Plants
12.	Vermi Compost, City Compost & Pressmud
13.	Soil Testing Digital Mini Lab & Reffills
14.	Hybrid Maize Seed (Notified), Hybrid Paddy Seed (Notified), Hybrid Sun Flower Seed (Notified).
15.	Soil Testing Lab Equipment & Accessories
16.	Fisheries Material (Net, Thread, Fish Feed, Floating Fish Feed, Fish Ice Box, Cage)
17.	Quality Planting Material (Fruits/Agro Forestry/Flowers Plants & Flowers Seeds)
18.	Forestry Plants
19.	Medicinal & Aromatic Plants
20.	Vegetable Hybrid Seed
21.	Fisheries Areator
22.	"Horticulture Produce Processing And Training Equipment" (Pre-Fabricated Pack House, Power Tiller and other).
23.	Certified Vegetable Seed (Potato, Coriender, Methi, Garlic, Aravi, Ginger, Turmeric, Elephant Foot Yam)
24.	Plant Protection Equipment And Light Trap (Ppe)
25.	Lime, Gypsum Pyrite For Agriculture Use,
26.	Vegetable Growing Kit
27.	Power Operated Agriculture Implement/Machinery

उपरोक्त के साथ परिशिष्ट-1 से स्थानांतरित कर निम्नांकित उत्पादों को नवीन परिशिष्ट-2 में निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जाता है :—

(यह वर्तमान में सीएसआईडीसी द्वारा निष्पादित दर अनुबंध की समयावधि पूर्ण होने पर ही छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास, निगम लिमिटेड द्वारा नवीन निर्धारण किया जायेगा.)

परिशिष्ट में वर्णित सरल क्रमांक (1)	परिशिष्ट-2 में नवीन अनुक्रमांक (2)	सामग्री का नाम/विवरण (3)
67	28	**वानिकी कार्य से संबंधित सामग्री**
	28.1	नीम खली
	28.2	बेनमील
	28.3	डी.ए.पी.
	28.4	सुपर फास्फेट
	28.5	फोरेट
	28.6	क्लोरोपायरिफास
	28.7	मोनोकोटोफास
	28.8	मेलाथियान
	28.9	रूट ट्रेनर-40 सेल ब्लॉक, क्षमता 80 से 85 सी.सी. (साईज - 350 × 220 × 100 MM)
	28.10	कोकोपीठ
	28.11	वर्मी कोलायड
68	29	**(अ) फलदार पौधा**
	29.1	आम (ऊंचाई-6 से 8 फिट)
	29.2	ईमली (ऊंचाई-4 से 5 फिट)
	29.3	जामुन (ऊंचाई-6 से 8 फिट)
	29.4	महुआ (ऊंचाई-4 से 5 फिट)
	29.5	चिरौन्जी (ऊंचाई-6 से 8 फिट)
	29.6	आंवला (ऊंचाई-6 से 8 फिट)
	29.7	हर्रा (ऊंचाई-6 से 8 फिट)
	29.8	बहेड़ा (ऊंचाई-6 से 8 फिट)
	29.9	कटहल (ऊंचाई-6 से 8 फिट)
		(ब) औषधि पौधा
	29.10	तिखुर
	29.11	बैचांदी
	29.12	जिमीकांदा
	29.13	दहीमन
		(स) अन्य पौधा
	29.14	बरगद (ऊंचाई-6 से 8 फिट)
	29.15	पीपल (ऊंचाई-6 से 8 फिट)
	29.16	नीम (ऊंचाई-6 से 8 फिट)
	29.17	सागौन रूटशूट (स्टेण्डर्ड साईज)
	29.18	डेन्ड्रोकैलेमस स्ट्रीक्टस राईजोम (दो वर्ष पुराना)
	29.19	बम्बूसा बैलकोवा राईजोम (दो वर्ष पुराना)
	29.20	बम्बूसा बलगेरिस राईजोम (दो वर्ष पुराना)
	29.21	क्लोनल नीलगिरी (ऊंचाई-1.5 से 2 फिट)

(1)	(2)	(3)
71	30	**अ—वानिकी कार्य से संबंधित सामग्री**
		30.1 कोलतार (डामर) केवल वानिकी कार्य हेतु
		30.2 ब्लैक जापान (पेन्ट) केवल वानिकी कार्य हेतु
		30.3 मेजरिंग टेप केवल वानिकी कार्य हेतु
		30.4 लारटॉप
		30.5 बायफनथ्रीन (10 प्रतिशत)
		30.6 इमिडियाक्लोप्रिड
		30.7 प्रोफेरोफॉस
		30.8 पेग टूथ सा हायलो बेक
		30.9 बायो इनरिच्ड जैविक खाद
		30.10 प्लान्ट ग्रोथ रेगूलेटर
		30.11 सॉ फाईल केवल वानिकी कार्य हेतु
71	31	**ब—विभिन्न प्रकार के पौधे**
		31.1 औषधि पौधा
		31.2 सतावर (ऊंचाई-2.5 से 3 फिट)
		31.3 सफेद मूसली (ऊंचाई-2.5 से 3 फिट)
		31.4 सर्पगंधा (ऊंचाई-2.5 से 3 फिट)
		31.5 बायबीडिंग (ऊंचाई-2.5 से 3 फिट)
		स—अन्य पौधा
		31.6 टिशू कल्चरल सागौन पौधा
		31.7 टिशूकल्चर बांस पौधा
		31.8 टूबोविया (ऊंचाई-6 से 8 फिट)
		31.9 कचनार (ऊंचाई-6 से 8 फिट)
		31.10 स्पैधोडिया (ऊंचाई-6 से 8 फिट)
		31.11 महोगनी
		31.12 जैंकरेंडा
		31.13 मिलिंग टोनिया

ये संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझी जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 फरवरी 2022

क्रमांक एफ 1-04/2021/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, भारतीय पुलिस सेवा के 2018 आवंटन वर्ष के निम्नांकित अधिकारियों को आवंटन वर्ष से 04 वर्ष की सेवा दिनांक 01-01-2022 को पूर्ण कर लेने तथा विभागीय परीक्षा पूर्ण करने के फलस्वरूप, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-3 तथा भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 6(ए)(3) में निहित

प्रावधान के तहत, उक्त तिथि अर्थात दिनांक 01-01-2022 से सेवा के वरिष्ठ वेतनमान (अनुसूची-III वेतन मैट्रिक्स स्तर-11, रु. 67,700-02,08,700) प्रदान करता है.

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)
1.	श्री जितेन्द्र कुमार यादव नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली, दुर्ग
2.	श्री आन्जनेय वार्ष्णेय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) सुकमा
3.	सुश्री अंकिता शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) बस्तर
4.	श्री योगेश कुमार पटेल नगर पुलिस अधीक्षक, रायगढ़
5.	श्री येदुवेल्ली अक्षय कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) नारायणपुर
6.	श्री चव्हान किरण गंगाराम नगर पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 फरवरी 2022

क्रमांक एफ 1-04/2021/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, भारतीय पुलिस सेवा के 2012 आवंटन वर्ष के निम्नांकित अधिकारियों को आवंटन वर्ष से 09 वर्ष की सेवा दिनांक 01-01-2021 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-3 के अंतर्गत, उक्त तिथि अर्थात् दिनांक 01-01-2021 से सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (पुनरीक्षित अनुसूची-III वेतन मैट्रिक्स स्तर-12, रु. 78,800-02,09,200) कंडिका-02 में उल्लेखित शर्त के अधीन प्रदान करता है :—

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)
1.	श्री विवेक शुक्ला (सीजी-2012) पुलिस अधीक्षक, जिला-महासमुंद
2.	श्री शशि मोहन सिंह (सीजी-2012) सेनानी, 5वीं वाहिनी, छसबल, जगदलपुर
3.	श्री राजेश कुकरेजा (सीजी-2012) पुलिस अधीक्षक, (रेल) रायपुर
4.	श्रीमती श्वेता राजमणि (सीजी-2012) सेनानी, 20वीं वाहिनी, छसबल, महासमुन्द

(1)	(2)
5.	श्री विजय अग्रवाल (सीजी-2012) पुलिस अधीक्षक, जिला-जशपुर
6.	श्री रामकृष्ण साहू (सीजी-2012) पुलिस अधीक्षक, जिला-बलरामपुर

2. भारत सरकार द्वारा आयोजित आगामी मिड कैरियर प्रशिक्षण फेस-3 अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जावेगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 फरवरी 2022

क्रमांक एफ 1-04/2021/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, भारतीय पुलिस सेवा के 2011 आवंटन वर्ष के निम्नांकित अधिकारियों को आवंटन वर्ष से 09 वर्ष की सेवा दिनांक 01-01-2020 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-3 के अंतर्गत, उक्त तिथि अर्थात् दिनांक 01-01-2020 से सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (पुनरीक्षित अनुसूची-III वेतन मैट्रिक्स स्तर-12, रु. 78,800-02,09,200) कंडिका-02 में उल्लेखित शर्त के अधीन प्रदान करता है :—

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)
1.	श्री दुखुराम आंचला (सीजी-2011) पुलिस अधीक्षक, जिला-मुंगेली
2.	श्री सरजू राम सलाम (सीजी-2011) सेनानी, 8वीं वाहिनी, छसबल, राजनांदगांव
3.	श्री गोवर्धन राम ठाकुर (सीजी-2011) सेनानी, प्रथम वाहिनी, छसबल, भिलाई
4.	श्री अजातशत्रु बहादुर सिंह (सीजी-2011) सेनानी, 9वीं वाहिनी, छसबल, दंतेवाड़ा

2. भारत सरकार द्वारा आयोजित आगामी मिड कैरियर प्रशिक्षण फेस-3 अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जावेगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 फरवरी 2022

क्रमांक एफ 1-04/2021/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, भारतीय पुलिस सेवा के 2013 आवंटन वर्ष के निम्नांकित अधिकारियों को आवंटन वर्ष से 09 वर्ष की सेवा दिनांक 01-01-2022 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-3 के अंतर्गत, उक्त तिथि अर्थात् दिनांक 01-01-2022 से सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (पुनरीक्षित अनुसूची-III वेतन मैट्रिक्स स्तर-12, रु. 78,800-02,09,200) कंडिका-02 में उल्लेखित शर्त के अधीन प्रदान करता है :—

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)
1.	जितेन्द्र शुक्ला (सीजी-2013) सेनानी, 16वीं वाहिनी, छसबल, नारायणपुर

(1)	(2)
2.	श्री मोहित गर्ग (सीजी-2013) सेनानी, 14वीं वाहिनी, छसबल, बालोद
3.	श्री अभिषेक पल्लवा (सीजी-2013) पुलिस अधीक्षक, जिला-जांजगीर-चांपा

2. भारत सरकार द्वारा आयोजित आगामी मिड कैरियर प्रशिक्षण फेस-3 अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जावेगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 मार्च 2022

क्रमांक/एफ 7-01/2022/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राजेश मिश्रा, (भापुसे-1990), संचालक, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर, छ.ग. को दिनांक 31-01-2022 से 09-02-2022 (कुल 10 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश काल में श्री मिश्रा को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश मिश्रा (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

4. श्री राजेश मिश्रा, (भापुसे-1990), संचालक, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में संचालक, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर का चालू प्रभार श्रीमती अपोलिना एक्का, वरि. वैज्ञानिक अधिकारी, रायपुर, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 मार्च 2022

क्रमांक/एफ-7/03/2018/दो-गृह/भापुसे.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04-12-2021 जिसके द्वारा श्री डी.एम. अवस्थी, (भापुसे-1986) को दिनांक 06-12-2021 से 17-12-2021 (कुल 12 दिवस) तक का अर्जित अवकाश तथा भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक F-31011/4/2008-Estt. (A) दिनांक 23-09-2008 के अनुसार 10 दिवस का अर्जित अवकाश नगदीकरण (समर्पित) करने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण उक्त स्वीकृत अवकाश का लाभ श्री अवस्थी द्वारा नहीं लिये जाने से राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश दिनांक 04-12-2021 को निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, अवर सचिव.

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 मार्च 2022

क्रमांक/1084/एफ-11/26/2019/14-2.— छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्र. 657/एफ-14/

36/2007/14-2, दिनांक 12 फरवरी, 2008 एवं अधिसूचना क्र. 603/एफ-11/26/2019/14-2, दिनांक 04 फरवरी, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

शब्द "उप-मण्डी" के स्थान पर, शब्द "मण्डी" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 मार्च 2022

क्रमांक/1084/एफ-11/26/2019/14-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/1084/एफ-11/26/2019/14-2 रायपुर दिनांक 02-03-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd March 2022

No./1084/F-11/26/2019/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, makes the following amendment in the department's vide Notification No. 657/F-14/36/2007/14-2, dated 12th February, 2008 and Notification No. 603/F-11/26/2019/14-2, dated 04th February, 2020, namely :—

AMENDMENT

In the said notification,—

For the worlds "sub-market", the word "market" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. C. PAIKARA, Joint Secretary.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 मार्च 2022

क्रमांक/1086/एफ-11/26/2019/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्र. 2337-3971-चौदह-3 भोपाल, दिनांक 16 अगस्त, 1975 में संशोधन करती है तथा मण्डी प्रांगण के निम्नलिखित स्थान, जिसमें संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र आता है, जिसके लिये इस विभाग की अधिसूचना क्र. 7721-8503-चौदह-1, दिनांक 28 अक्टूबर, 1964 द्वारा मण्डी स्थापित

की गई है, को उप-मण्डी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात् :—

स्थान

ग्राम कांपा, फाफाडीह, और पण्डरी तराई रायपुर, तहसील रायपुर, जिला रायपुर के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की लगभग 107.852 एकड़ भूमि का क्षेत्र, जो कि निम्नानुसार है :—

उत्तर में	—	रायपुर-महासमुन्द रेलवे लाईन
दक्षिण में	—	सेन्ट्रल वेयर हाऊस से क्रिश्चियन हास्पिटल तक
पूर्व में	—	क्रिश्चियन हास्पिटल से महासमुन्द रेलवे क्रासिंग तक
पश्चिम में	—	सेन्ट्रल वेयर हाऊस (मण्डी समिति द्वारा प्रस्तावित रोड) से महासमुन्द रेलवे लाईन तक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 मार्च 2022

क्रमांक/1086/एफ-11/26/2019/14-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/1086/एफ-11/26/2019/14-2 रायपुर दिनांक 02-03-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd March 2022

No./1086/F-11/26/2019/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, amends this department's vide Notification No. 2337-3971-XIV-III, Bhopal, dated 16th August, 1975 and declares the following places of market yard including any structure, enclosures, open place or locality for which a market has been established by this Department's Notification No. 7721-8503/XIV-1, dated 28th October, 1964, as the sub-market yard, namely :—

PLACE

An area of about 107.852 Acre of land of the following Khasra Number at the villages Kampa, Phaphadih and Pandari Tarai of Raipur Tahsil of Raipur District are as under :—

On the North by	—	Raipur-Mahasamund Railway Line
On the South by	—	Central Ware House to Christain Hospital
On the East by	—	Christain Hospital to Mahasamund Railway Crossing
On the West by	—	Central Ware House (Road proposed by the Mandi Committee) to Mahasamund Railway line.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. C. PAIKARA, Joint Secretary.

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 फरवरी 2022

क्रमांक एफ 1-02/2022/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम-1966 के नियम-6(ए) के अंतर्गत निम्नलिखित भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक-3 में दर्शाई गई तिथि से वरिष्ठ वेतनमान (Senior Time Scale : Level 11 of the Pay Matrix Rs. 67,700-2,08,700) में नियुक्त करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति की तिथि (3)
1.	श्री आलोक कुमार बाजपेयी (2018)	01-01-2022
2.	श्री श्रेजस शेखर (2018)	01-01-2022
3.	श्री शशि कुमार (2018)	01-01-2022
4.	श्री दिनेश कुमार पटेल (2018)	01-01-2022

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 फरवरी 2022

क्रमांक एफ 01-73/2001/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को उनकी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के समक्ष कॉलम-4 में उल्लेखित तिथि को शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त करता है :—

क्र. (1)	अधिकारियों का नाम, बैंच, पदनाम एवं पदस्थापना (2)	जन्म तिथि (3)	सेवानिवृत्त तिथि (4)
1.	श्री अभय कुमार श्रीवास्तव (2001)	05-01-1963	31-01-2023
2.	श्री आशीष कुमार भट्ठ (1988)	20-06-1963	30-06-2023
3.	श्री जनक राम नायक (2001)	25-06-1963	30-06-2023
4.	श्री सोबरन सिंह कँवर (2002)	01-07-1963	30-06-2023
5.	श्री अतुल कुमार शुक्ला (1986)	31-08-1963	31-08-2023
6.	श्री संजय शुक्ला (1987)	06-08-1963	31-08-2023
7.	श्री मोहम्मद शाहिद (2001)	25-09-1963	30-09-2023
8.	श्री सुरेश प्रसाद पैकरा (2002)	02-12-1963	31-12-2023

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जगदीश सोनकर, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

धमतरी, दिनांक 9 फरवरी 2022

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/1506/भू-अर्जन/198/2022.—छत्तीसगढ़ भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
धमतरी	नगरी	चिंवर्री (माल.)	0.36 हे.	चिंवर्री-चारभाठा मार्ग के सलेरिया नदी पर उच्चस्तरीय पुल मय पहूंच मार्ग निर्माण कार्य, भू-अर्जन, ग्राम चिंवर्री (माल.).

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 11-02-2022 दिन शुक्रवार को प्रात: 11.00 बजे स्थान कार्यालय ग्राम पंचायत चिंवर्री तहसील नगरी में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	चिंवर्री-चारभाठा मार्ग के सलेरिया नदी पर उच्चस्तरीय पुल मय पहूंच मार्ग निर्माण कार्य, हेतु भू-अर्जन, ग्राम चिंवर्री (माल.).
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	02
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 50.00 लाख अनुमानित राशि
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	प्रस्तावित परियोजना जनहित एवं विकास परियोजना है.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	निरंक
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदुम सिंह एल्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 4 फरवरी 2022

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/1430/भू-अर्जन/2021.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	धंवईपुर	2.016 हे.	रामपुर जलाशय योजना के दांयी तट शाखा नहर निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 4-3-2022 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन धंवईपुर पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	रामपुर जलाशय योजना के दांयी तट शाखा नहर निर्माण हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	29 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	29 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 8340.45 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	रामपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण का विस्तार होने से सिंचाई का रकबा प्रभावित होने से फसल की पैदावार में वृद्धि होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 4 फरवरी 2022

प्रारूप–एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/1462/भू–अर्जन/2022.—भूमि–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	हुंकरा	0.745 हे.	रामपुर जलाशय योजना के दांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 23–2–2022 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन हुंकरा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	रामपुर जलाशय योजना के दांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	14 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	14 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 8340.45 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	रामपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण का विस्तार होने से सिंचाई का रकबा प्रभावित होने से फसल की पैदावार में वृद्धि होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 4 फरवरी 2022

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/1466/भू-अर्जन/2022.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	धंवईपुर	0.124 हे.	रामपुर जलाशय योजना के दांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 4-3-2022 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन धंवईपुर पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	रामपुर जलाशय योजना के दांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	03 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	03 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 8340.45 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	रामपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण का विस्तार होने से सिंचाई का रकबा प्रभावित होने से फसल की पैदावार में वृद्धि होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 4 फरवरी 2022

प्रारूप–एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/1479/भू–अर्जन/2022.—भूमि–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	बिसनपुर	5.321 हे.	रामपुर जलाशय योजना के बांयी तट शाखा नहर निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 25–02–2022 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन बिसनपुर पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	रामपुर जलाशय योजना के बांयी तट शाखा नहर निर्माण हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	73 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	73 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 8340.45 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	रामपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण का विस्तार होने से सिंचाई का रकबा प्रभावित होने से फसल की पैदावार में वृद्धि होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 4 फरवरी 2022

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/1486/भू-अर्जन/2022.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	जेंजरा	1.123 हे.	रामपुर जलाशय योजना के दांयी तट शाखा नहर निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 28-02-2022 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन जेंजरा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	रामपुर जलाशय योजना के दांयी तट शाखा नहर निर्माण हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	29 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	29 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 8340.45 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	रामपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण का विस्तार होने से सिंचाई का रकबा प्रभावित होने से फसल की पैदावार में वृद्धि होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 4 फरवरी 2022

प्रारूप–एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/1494/भू–अर्जन/2022.—भूमि–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	जेंजरा	2.099 हे.	रामपुर जलाशय योजना के दांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 28–02–2022 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन जेंजरा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	रामपुर जलाशय योजना के दांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	25 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	25 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 8340.45 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	रामपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण का विस्तार होने से सिंचाई का रकबा प्रभावित होने से फसल की पैदावार में वृद्धि होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 4 फरवरी 2022

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/1497/भू-अर्जन/2022.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	कटघोरा	0.512 हे.	रामपुर जलाशय योजना के दांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 02-3-2022 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन नवागांव पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	रामपुर जलाशय योजना के दांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	10 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	10 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 8340.45 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	रामपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण का विस्तार होने से सिंचाई का रकबा प्रभावित होने से फसल की पैदावार में वृद्धि होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 16 फरवरी 2022

प्रारूप–एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/1933/भू–अर्जन/2022.—भूमि–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	हरदीबाजार	उतरदा	2.377 हे.	उतरदा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 27–02–2022 को समय 10.00 बजे प्रातः से स्थान ग्राम पंचायत भवन उतरदा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	उतरदा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	27 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	27 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 441.53 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से 154 हे. में खरीफ सिंचाई सुविधा प्राप्त हो सकेगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 16 फरवरी 2022

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/1943/भू-अर्जन/2022.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	हरदीबाजार	रामपुर	1.078 हे.	लोटनापारा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 27-02-2022 को समय 3.00 बजे अपरान्ह से स्थान ग्राम पंचायत भवन उतरदा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	लोटनापारा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	09 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	09 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 1133.73लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से 485 हे. में खरीफ सिंचाई सुविधा प्राप्त हो सकेगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रानू साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 3 फरवरी 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	हमीरपुर	0.936	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. (भ./स.), रायगढ़.	रायगढ़ हमीरपुर मार्ग चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 फरवरी 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202201042100024/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	सूपा प.ह.नं. 22	2.377	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा अ.मु. खरसिया, रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत बुनगा माईनर 1 व 2 नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 मार्च 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	घुटकुपाली	0.464	कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	औद्योगिक प्रयोजनार्थ एनटीपीसी लारा निर्माण हेतु छूटी हुई भूमि भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सूरजपुर, दिनांक 7 मार्च 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202110260300072/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	रामानुजनगर	रामानुजनगर प.ह.नं. 22	0.1531	प्राधिकृत अधिकारी, सरगुजा रेल कॉरीडोर प्रा.लि.	रेलवे लाइन का निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 24 फरवरी 2021

(भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (7) के अंतर्गत)

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/2390/53/अ-82/भू-अर्जन/2022.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 के उपबंधों के अनुसार अधिग्रहण हेतु इस कार्यालय के पत्र क्र. 13655/भू-अर्जन/2020/कोरबा दिनांक 05-10-2020 को प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था. क्योंकि पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस (Covid-19) महामारी फैलने के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो गया था जिसके रोकथाम हेतु पूरे प्रदेश में लाक डाउन किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 05-10-2021 तक अन्तिम अधिसूचना (धारा-19) का प्रकाशन नहीं किया जा सका अत्ऐव उक्त अधिनियम की धारा 19(7) में वर्णित प्रावधान एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार बारह मास वृद्धि की जाती है एवं जनसाधारण हेतु सूचना प्रकाशित/प्रदर्शित की जाती है.

ग्राम-मुरली, प.ह.नं.-39, तहसील-हरदीबाजार, जिला-कोरबा छ.ग.

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	हरदीबाजार	मुरली प.ह.नं. 39	4.822	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	मसुरिहा जलाशय योजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रानू साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 24 फरवरी 2021

क्रमांक/2389/भूअर्जन/अ-82/2021.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-मुरली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.822 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16	0.146
12	0.065
14	0.210

(1)	(2)
8	0.385
5/1	0.142
19/1	0.170
19/2	0.113
19/3	0.137
10/1	0.024
9/1	0.032
9/2	0.016
10/2	0.012
9/3	0.061
10/3	0.049
9/4	0.061
10/4	0.049
9/5	0.016
10/5	0.012
6, 7/1	0.587
7/3	0.028
11/2	0.105
7/2	0.032
11/1	0.109
5/2	0.142
4	0.073
13	0.214
15	0.142
2, 3	0.971
1/2	0.486
1/1	0.129
9/6	0.012
10/6	0.012
9/7	0.016
10/7	0.012
9/8	0.028
10/8	0.024
योग	4.822

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–मसुरिहा जलाशय योजनान्तर्गत डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रानू साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 7 मार्च 2022

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक–06/अ–82/2019–20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
(क) जिला–रायगढ़
(ख) तहसील–पुसौर
(ग) नगर/ग्राम–आरमुड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल–0.723 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1क/1	0.008
225/2क/1, 227/1क	0.010
2/1ख/1	0.008
225/2क/2, 227/1ख	0.009
2/1ग/1	0.017
2/1घ/1	0.016
2/1ङ/1	0.016
5/1	0.061
8/5	0.036
8/3	0.040
75/1	0.162
163/2	0.138
169/1	0.101
221/6	0.101
योग 14	0.723

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–औद्योगिक प्रयोजनार्थ एनटीपीसी लारा हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 4 जनवरी 2022

प्र. क्रमांक/80/01/अ-82/भू-अर्जन/2021.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अंबागढ़ चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-अं. चौकी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.031 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
319/10	0.081
319/14	0.057
461/6	0.024
319/13	0.032
319/6	0.081
319/12	0.101
461/3	0.081
461/5	0.020
319/1	0.040
485/1	0.012
349	0.028
350/14	0.008
464	0.028
350/12	0.012
463/3	0.040
463/4	0.036
350/11	0.008
351/1	0.020
461/1	0.121
485/2	0.040
485/3	0.045
485/4	0.069
458	0.020
457	0.065
456/2	0.016
456/3	0.105
484/5	0.008
487/1	0.004
494/2	0.202
484/4	0.016
484/3	0.012
487/2	0.004
494/1	0.372
488	0.142
487/3	0.081
योग 35	2.031

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पांगरी से चौकी मार्ग पर स्थित शिवनाथ नदी (महिलाघाट) पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तारन प्रकाश सिन्हा, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव छ.ग. शासन राजस्व, आपदा प्रबंधन विभाग जिला बलौदाबाजार-भाटापारा

बलौदाबाजार, दिनांक 16 दिसम्बर 2021

क्रमांक 260/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2020-21.—एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 के तहत जोंक व्यपवर्तन योजना के शाखा क्रमांक 10 का निर्माण कार्य हेतु ग्राम टुण्डरी, प.ह.नं. 01, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) निम्नलिखित भू-धारकों की भूमि की आवश्यकता होने के कारण कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग कसडोल, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है.

स.क्र.	भू-स्वामी का नाम	खसरा न.	कुल रकबा	अर्जित रकबा	भूमि का किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	अनंदराम, धानबाई पिता हरिराम जाति सतनामी	1987/1	0.108	0.096	असिंचित
02.	पुनवा राम, अनुजराम, फिरतु पिता झारूराम, ना.बा. दीपक, यशवंत पिता मेलाराम, वली मॉ वो खुद बुधवारा बाई बेवा मेलाराम, फूलबाई बेवा झाडूराम जाति तेली.	1974/2	0.105	0.040	असिंचित
03.	नाबा. कोमल, संतोषी, गीता, अम्बेश्वरी, सीता पिता नरोत्तमदास वली खुद फूलबाई बेवा नरोत्तमदास जाति पनका.	1754	0.267	0.114	असिंचित
04.	मधुसुदन, नर्मदा पिता गंगाराम जाति तेली	899/4	0.204	0.060	असिंचित
05.	तेजस्वी प्रसाद, अशोक, संतोष पिता झब्बू, दिलीप, अहिल्या, गीता, दुर्गेश्वरी पिता जोहन, रूपेश, शेषकुमार पिता संतोष, संतोषी पिता झब्बू, महेतरीन बेवा झब्बू, जाति तेली.	899/1	0.113	0.040	असिंचित
06.	गुहरी दास पिता छेडूदास, जाति पनका	1073	0.251	0.109	असिंचित
07.	धनेश्वर प्रसाद पिता हीरन, जाति तेली	1097/4	0.093	0.060	असिंचित
	महायोग	**07**	**1.141**	**0.519**	**—**

उपरोक्त दर्शित भूमि के स्वत्व के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिवस के भीतर स्वत: अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से आधार सहित मेरे समक्ष लिखित प्रस्तुत कर सकता है. उसके पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

सुनील कुमार जैन,
कलेक्टर.

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल, ब्लॉक-A, एकात्म पथ, सेक्टर-24, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 2 फरवरी 2022

क्रमांक/61/04/योजना/बीओसी/2021/116.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद्द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित "भगिनी प्रसूति सहायता योजना" में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक/61/04/योजना/बीओसी/2021/113 दिनांक 25-11-2021 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है :—

भगिनी प्रसूति सहायता योजना :—

(क) **योजना का प्रावधान :—**

3. योजना के तहत् राशि रु. 10,000/- एक मुश्त बच्चे के जन्म के पश्चात् प्रदाय किया जावेगा, को अतिक्रमित करते हुए

"पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक को प्रसूति सहायता राशि रु. 20,000/- (अक्षरी बीस हजार रुपये) एक मुश्त बच्चे के जन्म के पश्चात् प्रदाय किया जावेगा"

उपरोक्त योजना में संशोधन देय राशि अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी.

राजेश कुमार पात्रे,
सचिव.

कार्यालय, संचालक, कृषि विपणन छ.ग. रायपुर
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2021

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/5516.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/4526 दिनांक 26-10-2016 द्वारा श्री ओम प्रकाश वर्मा, तहसीलदार, राजिम को कृषि उपज मंडी समिति राजिम जिला गरियाबंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

संयुक्त कलेक्टर, वास्ते कलेक्टर, जिला गरियाबंद (छ.ग.) का ज्ञापन क्रमांक/4173/वित्त-स्था./2021 दिनांक 27-11-2021 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति राजिम के भारसाधक अधिकारी श्री ओम प्रकाश वर्मा, तहसीलदार राजिम का पदोन्नति/स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री अनुपम आशीष टोप्पो, डिप्टी कलेक्टर/प्रभारी तहसीलदार राजिम, को कृषि उपज मंडी समिति राजिम का भारसाधक अधिकारी नियुक्ति हेतु प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री ओम प्रकाश वर्मा, तहसीलदार राजिम के स्थान पर श्री अनुपम आशीष टोप्पो, डिप्टी कलेक्टर/प्रभारी तहसीलदार राजिम, को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति राजिम जिला गरियाबंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2021

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/5518.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/2502, दिनांक 22-07-2019 द्वारा श्री शेष नारायण जायसवाल, नायब तहसीलदार, मस्तूरी को कृषि उपज मंडी समिति जयरामनगर जिला बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

संयुक्त कलेक्टर, हेतु कलेक्टर, जिला बिलासपुर (छ.ग.) का ज्ञापन क्रमांक क/वित्त-1/2021/3781 दिनांक 07-12-2021 द्वारा श्री शेष नारायण जायसवाल, नायब तहसीलदार, मस्तूरी का पदोन्नति/स्थानान्तरण हो जाने से उनके स्थान पर श्री अतुल वैष्णव, तहसीलदार मस्तूरी, को कृषि उपज मंडी समिति जयरामनगर का भारसाधक अधिकारी नियुक्ति हेतु प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री शेष नारायण जायसवाल, नायब तहसीलदार, मस्तूरी के स्थान पर श्री अतुल वैष्णव, तहसीलदार मस्तूरी, को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति जयरामनगर जिला बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2021

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/5526.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/1161, रायपुर दिनांक 22-06-2021 द्वारा श्री जी.आर. मरकाम, संयुक्त कलेक्टर, जिला बस्तर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जगदलपुर को कृषि उपज मंडी समिति जगदलपुर जिला बस्तर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर, बस्तर जिला बस्तर, जगदलपुर का ज्ञापन क्र./594/ज्ये.लि.-दो/2021 दिनांक 08-11-2021 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति, जगदलपुर में पदस्थ भारसाधक अधिकारी श्री जी.आर. मरकाम, संयुक्त कलेक्टर, जिला बस्तर का स्थानांतरण रायपुर होने के कारण श्री दिनेश कुमार नाग, संयुक्त कलेक्टर, जगदलपुर को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री जी.आर. मरकाम, संयुक्त कलेक्टर, जिला बस्तर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जगदलपुर के स्थान पर श्री दिनेश कुमार नाग, संयुक्त कलेक्टर, जगदलपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति जगदलपुर जिला बस्तर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2022

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/5639—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/7213, रायपुर दिनांक 18-02-2020 द्वारा श्री मुकेश रावटे, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को कृषि उपज मंडी समिति राजनांदगांव जिला राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/मंडी/2021-22/512 राजनांदगांव दिनांक 26-10-2021 द्वारा श्री मुकेश रावटे, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थानांतरण संयुक्त कलेक्टर, दुर्ग जिला दुर्ग हो जाने के कारण श्री अरूण वर्मा, अ.वि.अ. (राजस्व) राजनांदगांव को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री मुकेश रावटे, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के स्थान पर श्री अरूण वर्मा, अ.वि.अ. (राजस्व), राजनांदगांव को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति राजनांदगांव जिला राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

भुवनेश यादव,
संचालक.

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा (छ.ग.)

कोरबा, दिनांक 2 फरवरी 2022

क्रमांक/1358/अधीक्षक/2022.—प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए श्री अरूण कुमार खलखो, डिप्टी कलेक्टर कोरबा को निम्नानुसार कार्य सौंपा जाता है :—

प्रभारी अधिकारी :—

- सहायक अधीक्षक सामान्य/राजस्व आपदा प्रबंधन शाखा एवं कोविड 19 के प्रकरण (संबंधित शाखा की समस्त नस्ती अनुमोदन हेतु नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे.)
- जन सूचना अधिकारी— कार्यालय कलेक्टर, कोरबा
- सांख्य लिपिक
- चरित्र सत्यापन हेतु नोडल अधिकारी
- नजूल शाखा
- राजस्व आंकिक
- दस्तावेज प्रमाणित शाखा
- नवोदय विद्यालय
- केन्द्रीय विद्यालय
- उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा
- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

कोरबा, दिनांक 2 फरवरी 2022

क्रमांक/1362/अधीक्षक/2022.—प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए श्री अवध सिंह राणा, संयुक्त कलेक्टर कोरबा को निम्नानुसार कार्य सौंपा जाता है :—

प्रभारी अधिकारी :—

- विभागीय जांच
- प्रपत्र लेखन एवं मुद्रण (प्रपत्र शाखा)
- अल्प बचत
- प्रतिलिपि शाखा
- अभिलेख प्रकोष्ठ (राजस्व एवं आंग्ल)
- हेल्प डेस्क
- सिटीजन हेल्पलाईन
- पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति
- रेंट कंट्रोल
- शोध क्षमता प्रमाण पत्र जारी करना
- नापतौल विभाग
- तम्बाकू उत्पादन अधिनियम 2003
- ऋण भारमुक्त प्रमाण पत्र
- छ.ग. साहूकारी अधिनियम 1934
- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

कोरबा, दिनांक 2 फरवरी 2022

क्रमांक/1366/अधीक्षक/2022.—कार्यालय आदेश क्र./13710/अधीक्षक/2021, कोरबा दिनांक 12-11-2021 के द्वारा जिला मुख्यालय में पदस्थ अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर के मध्य कार्य विभाजन किया गया है उक्त आदेश में आंशिक संशेधन कर जिला मुख्यालय में पदस्थ आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर की अनुपस्थिति/अनुपलब्धता में लिंक आफिसर की व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम व पदनाम (2)	संयोजन अधिकारी का नाम (3)
1.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, कोरबा	आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा
2.	आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, कोरबा
3.	श्री सुनील कुमार नायक, संयुक्त कलेक्टर, कोरबा	श्री विजेन्द्र सिंह पाटले, संयुक्त कलेक्टर, कोरबा
4.	श्री विजेन्द्र सिंह पाटले, संयुक्त कलेक्टर, कोरबा	श्री अवध सिंह राणा, संयुक्त कलेक्टर, कोरबा
5.	श्री अवध सिंह राणा, संयुक्त कलेक्टर, कोरबा	सुश्री ममता यादव, संयुक्त कलेक्टर, कोरबा
6.	सुश्री ममता यादव, संयुक्त कलेक्टर, कोरबा	श्री भरोसाराम ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर, कोरबा
7.	श्री भरोसाराम ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर, कोरबा	श्री अवध सिंह राणा, संयुक्त कलेक्टर, कोरबा
8.	श्री अरूण कुमार खलखो, डिप्टी कलेक्टर, कोरबा	श्री भरोसाराम ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर, कोरबा
9.	सुश्री रूचि शार्दुल, डिप्टी कलेक्टर	श्री अरूण कुमार खलखो, डिप्टी कलेक्टर, कोरबा

1. यदि किसी कारणवश प्रभारी/लिंक अधिकारी मुख्यालय में उपस्थित न हो तो ऐसी स्थिति में मुख्यालय में उपस्थित अधिकारी कार्य संपादित करेंगे.

2. उक्त संयोजन अधिकारी केवल कलेक्टर कार्यालय के शाखाओं के लिए ही रहेगा.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

कोरबा, दिनांक 4 फरवरी 2022

क्रमांक/1460/अधीक्षक/2022.—प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए सुश्री रूचि शार्दुल, डिप्टी कलेक्टर (परि.), कोरबा को निम्नानुसार कार्य सौंपा जाता है :—

प्रभारी अधिकारी :—

- व्यवहारवाद शाखा
  (संबंधित शाखा की समस्त नस्ती अनुमोदन हेतु अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे.)

- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

रानू साहू
कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला-जशपुर (छत्तीसगढ़)

जशपुर, दिनांक 31 जनवरी 2022

क्रमांक/50/भू-अभि./स्था./2022.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, सन् 1959) की धारा 104 एवं 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं रितेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर, जिला-जशपुर (छत्तीसगढ़), इस जिला में तहसील बगीचा से पृथक नवीन तहसील सन्ना का गठन अधिसूचना क्रमांक/579/रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 नवम्बर, 2020 (असाधारण) में प्रकाशित अनुसार तहसील बगीचा के पटवारी हल्का क्रमांक को पुर्नगठन निम्नांकित सूची में दर्शाए अनुसार करता हूँ.

क्रमांक	तहसील का नाम	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	पटवारी हल्का नम्बर	मुख्यालय का नाम	ग्रामपंचायत का नाम	आश्रित ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (रकबा)		
							मकबूजा (खाता)	गैरमकबूजा (गैरखाता)	कुल योग क्षेत्रफल (रकबा) हेक्टेयर में
1	2	3	4		5	6	7	8	9
तहसील–**सन्ना** प्रारम्भ :–									
1	**सन्ना**	**सन्ना**	3	चम्पा	चम्पा	1. चम्पा	743.488	889.340	**1632.828**
2						2. कुरुवा	279.491	357.111	**636.602**
3					खखरा	1. खखरा	370.868	1258.461	**1629.329**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**03** ग्राम			**3898.759**
4			4	फुलझर	फुलझर	1. फुलझर	451.143	482.198	**933.341**
5						2. गुरगुरी	275.844	489.803	**765.647**
6					नन्हेंसर	1. नन्हेंसर	370.473	497.958	**868.431**
7						2. खेड़ार	264.663	241.517	**506.180**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**04** ग्राम			**3073.599**
8			5	बेड़ेकोना	बेड़ेकोना	1. बेड़ेकोना	463.714	1014.112	**1477.826**
9						2. इचोली	327.095	477.994	**805.089**
10					उकई	1. उकई	394.393	457.524	**851.917**
11						2. भट्ठा	440.586	900.711	**1341.297**
12						3. धनगुरी	198.461	362.961	**561.422**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**05** ग्राम			**5037.551**
13			6	एकम्बा	एकम्बा	1. एकम्बा	483.566	525.345	**1008.911**
14					मरंगी	1. मरंगी	328.894	568.652	**897.546**
15						2. चलनी	485.439	745.470	**1230.909**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**03** ग्राम			**3137.366**

16	सन्ना	सन्ना	7	हर्राडीपा	हर्राडीपा	1. हर्राडीपा	416.328	1009.321	**1425.649**
17						2. चेपराकोना	152.545	340.503	**493.048**
18					कोदोपारा	1. कोदोपारा	149.106	138.297	**287.403**
19						2. गम्हारकोना	248.436	371.501	**619.937**
20						3. बिसोड़ी	296.113	651.364	**947.477**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**05** ग्राम			**3773.514**
21			8	छिछली (अ)	छिछली (अ)	1. छिछली (अ)	479.701	359.770	**839.471**
22					डूमरकोना	1. डूमरकोना	1163.887	1382.254	**2546.141**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**02** ग्राम			**3385.612**
23			9	सन्ना	सन्ना	1. सन्ना	1159.995	1409.452	**2569.447**
24						2. कन्दरई	238.398	497.659	**736.057**
25					कोपा	1. कोपा	751.815	872.750	**1624.565**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**03** ग्राम			**4930.069**
26			10	तोरा	तोरा	1. तोरा	301.129	371.877	**673.006**
27						2. पारासुरा	163.509	144.731	**308.240**
28					लरंगा	1. लरंगा	306.420	833.676	**1140.096**
29						2. लोढ़ेना	208.858	383.372	**592.230**
30						3. मैना	211.791	399.178	**610.969**
31					डोभ	1. डोभ	373.809	698.775	**1072.584**
32						2. सुकरा	210.525	399.188	**609.713**
33						3. तमैया	139.306	756.261	**895.567**
			योगः–		**03** ग्रामपंचायत	**08** ग्राम			**5902.405**
34			13	कवई	कवई	1. कवई	502.134	1034.004	**1536.138**
35						2. मधुपुर **(वनग्राम)**	0.000	112.250	**112.250**
36					लोरो	1. लोरो	168.510	294.842	**463.352**
37						2. चटकपुर	145.197	285.137	**430.334**
38						3. अकरीकोना	263.836	210.374	**474.210**
39						4. भादू	430.637	662.050	**1092.687**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**06** ग्राम			**4108.971**

40	सन्ना	पण्डरापाठ	1	सुलेसा	सुलेसा	1. सुलेसा	882.617	2388.157	**3270.774**
41					दनगरी	1. दनगरी	333.702	1158.265	**1491.967**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**02** ग्राम			**4762.741**
42			2	महनई	महनई	1. महनई	683.995	1828.222	**2512.217**
43					छिरोडीह	1. छिरोडीह	91.024	429.173	**520.197**
44						2. बुरजूडीह	206.561	736.833	**943.394**
45						3. हुकराकोना	101.524	426.123	**527.647**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**04** ग्राम			**4503.455**
46			11	कामारिमा	कामारिमा	1. कामारिमा	2300.419	3836.327	**6136.746**
47					महुआ	1. महुआ	654.092	1521.045	**2175.137**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**02** ग्राम			**8311.883**
48			12		बहोरा	1. बहोरा	759.408	1425.972	**2185.380**
49						1. भँवर	175.803	264.349	**440.152**
50						2. सोनमुठ	293.826	565.594	**859.420**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**03** ग्राम			**3484.952**
51			14	पण्डरापाठ	पण्डरापाठ	1. पण्डरापाठ	2107.523	3604.482	**5712.005**
52					सरधापाठ	1. सरधापाठ	661.332	833.144	**1494.476**
53						2. कुरकुरिया	430.555	930.355	**1360.910**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**03** ग्राम			**8567.391**
54			15	भड़िया	भड़िया	1. भड़िया	659.826	1743.142	**2402.968**
55					मुढ़ी	1. मुढ़ी	534.378	1528.477	**2062.855**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**02** ग्राम			**4465.823**
56			16	सोनगेरसा	सोनगेरसा	1. सोनगेरसा	262.214	1099.238	**1361.452**
57						2. सारूढाप	195.335	1361.649	**1556.984**
60					गायबुड़ा	3. गायबुड़ा	320.188	799.201	**1119.389**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**03** ग्राम			**4037.825**
61			17	छिछली(रा.)	छिछली (रा.)	1. छिछली (रा.)	676.279	757.478	**1433.757**
62					रौनी	1. रौनी	746.025	1246.097	**1992.122**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**02** ग्राम			**3425.879**
63			18	रोकड़ा	रोकड़ा	1. रोकड़ा	220.675	755.979	**976.654**
64						2. महादेवजोबला	185.040	218.135	**403.175**
65					देवडाँड	1. देवडाँड़	408.452	642.409	**1050.861**
66						2. सुकमा	347.922	758.101	**1106.023**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**04** ग्राम			**3536.713**
योगः–			**18**	पटवारी हल्के	**ग्राम पंचायत 37**	**64** ग्राम	**28598.818**	**53745.690**	**82344.508**

तहसील–**बगीचा** प्रारम्भ :–									
1	**बगीचा**	**बिमड़ा**	1	सामरबार	सामरबार	1. सामरबार	567.300	1004.903	**1572.203**
2					मैनी	1. मैनी	548.030	783.876	**1331.906**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**02** ग्राम			**2904.109**
3			2	दुर्गापारा	दुर्गापारा	1. दुर्गापारा	548.096	124.113	**672.209**
4					सरडीह	1. सरडीह	782.572	482.836	**1265.408**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**02** ग्राम			**1937.617**
5			3	बिमड़ा	बिमड़ा	1. बिमड़ा	585.104	917.931	**1503.035**
6					नटकेला	1. नटकेला	428.909	483.112	**912.021**
7						2. पतरापारा	239.781	221.839	**461.620**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**03** ग्राम			**2876.676**
8			4	बगडोल	बगडोल	1. बगडोल	263.766	292.170	**555.936**
9						2. झगरपुर	188.383	110.646	**299.029**
10					पेटा	1. पेटा	341.593	432.337	**773.930**
11						2. सोनपुर	179.106	99.872	**278.978**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**04** ग्राम			**1907.873**
12			5	कुरडेग	कुरडेग	1. कुरडेग	643.078	431.918	**1074.996**
13					जुरगुम	1. जुरगुम	506.380	111.420	**617.800**
14						2. खन्ताडाँड़	395.285	181.919	**577.204**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**03** ग्राम			**2270.000**
15			6	रायकेरा	रायकेरा	1. रायकेरा	329.331	46.305	**375.636**
16						2. रुपसेरा	379.968	177.967	**557.935**
17						3. रेवरे	157.021	38.004	**195.025**
18					झिकी	1. झिकी	461.476	226.686	**688.162**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**04** ग्राम			**1816.758**
19			7	जुरूडाँड़	जुरूडाँड़	1. जुरूडाँड़	362.370	65.793	**428.163**
20						2. पण्डरीपानी	323.358	199.199	**522.557**
21						3. मझगाँव	239.255	168.518	**407.773**
22					टाँगरडीह	1. टाँगरडीह	200.302	76.478	**276.780**
23						2. पुरंगा	224.454	81.492	**305.946**
24						3. ओड़का	181.917	72.743	**254.660**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**06** ग्राम			**2195.879**

25	बगीचा	बगीचा	8	बगीचा	नगरपंचायत– बगीचा	1. बगीचा	205.474	155.027	**360.501**
				योगः–	**01** नगरपंचायत	**01** ग्राम			**360.501**
26			9	डूमरटोली	डूमरटोली	1. डूमरटोली	127.500	273.566	**401.066**
				योगः–	**01** ग्रामपंचायत	**01** ग्राम			**401.066**
27			10	भट्ठीकोना	भट्ठीकोना	1. भट्ठीकोना	149.822	413.770	**563.592**
28						2. लोटा	169.685	141.080	**310.765**
			योगः–		**01** ग्रामपंचायत	**02** ग्राम			**874.357**
29			11	कुरुमकेला	कुरुमकेला	1. कुरुमकेला	186.734	83.939	**270.673**
			योगः–		**01** ग्रामपंचायत	**01** ग्राम			**270.673**
30			12	गम्हरिया	गम्हरिया	1. गम्हरिया	294.832	166.582	**461.414**
			योगः–		**01** ग्रामपंचायत	**01** ग्राम			**461.414**
31			13	रतबा	रतबा	1. रतबा	166.796	52.822	**219.618**
			योगः–		**01** ग्रामपंचायत	**01** ग्राम			**219.618**
32	बगीचा	सरबकोम्बो	14	कुटमा	कुटमा	1. कुटमा	412.880	152.186	**565.066**
33						2. पत्ताकेला	201.271	230.528	**431.799**
34					गुरम्हाकोना	1. गुरम्हाकोना	251.641	298.835	**550.476**
35						2. बेतरा	338.814	258.205	**597.019**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**04** ग्राम			**2144.360**
36			15	कलिया	कलिया	1. कलिया	732.611	983.701	**1716.312**
37					बुटंगा	1. बुटंगा	186.089	154.506	**340.595**
38						2.कुरहाटिपना (वनग्राम)	0.000	156.300	**156.300**
39						3. रंगपुर (वनग्राम)	0.000	69.970	**69.970**
40						4.डूमरपानी (वनग्राम)	0.000	363.835	**363.835**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**05** ग्राम			**2647.012**
41			16	बछरौंव	बछरौंव	1 बछरौंव	789.951	837.775	**1627.726**
42					गायलूँगा	1. गायलूँगा	575.979	367.466	**943.445**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**02** ग्राम			**2571.171**
43			17	भितघरा	भितघरा	1. भितघरा	1411.896	609.608	**2021.504**
44						2. राजपुर	0.000	63.700	**63.700**
45					रैंगले	1. रैंगले	467.247	222.457	**689.704**
46					सुतरी	1. सुतरी	352.230	201.042	**553.272**
47						2. बेंद	90.120	143.387	**233.507**
			योगः–		**03** ग्रामपंचायत	**05** ग्राम			**3561.687**

48	बगीचा	सरबकोम्बो	18	सरबकोम्बो	सरबकोम्बो	1. सरबकोम्बो	451.033	332.070	**783.103**
49						2. कुहापानी	273.334	109.624	**382.958**
50						3. जामपानी	136.351	413.961	**550.312**
51					तम्बाकछार	1. तम्बाकछार	219.781	340.911	**560.692**
52						2. जबला	222.600	303.242	**525.842**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**05** ग्राम			**2802.907**
53			19	साहीडाँड़	साहीडाँड़	1. साहीडाँड़	454.507	171.455	**625.962**
54					रमसमा	1. रमसमा	578.259	418.370	**996.629**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**02** ग्राम			**1622.591**
55			20	पण्डरीपानी	पण्डरीपानी	1. पण्डरीपानी	664.029	495.224	**1159.253**
56					कुदमुरा	2. कुदमुरा	628.097	478.424	**1106.521**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**02** ग्राम			**2265.774**
57			21	रनपुर	रनपुर	1. रनपुर	636.495	172.900	**809.395**
58					करमा	1. करमा	517.794	179.019	**696.813**
59						2. डोंड़राही	140.380	58.246	**198.626**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**03** ग्राम			**1704.834**
60	बगीचा	कुर्रोंग	22	पसिया	पसिया	1. पसिया	860.570	201.177	**1061.747**
61					जुजगू	1. जुजगू	551.921	273.530	**825.451**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**02** ग्राम			**1887.198**
62			23	टटकेला	टटकेला	1. टटकेला	499.648	148.564	**648.212**
63						2. अम्बाडाँड़	119.624	36.888	**156.512**
64					बूड़ाडाँड़	1. बूड़ाडाँड़	689.665	113.437	**803.102**
65						2. फूलडीह	108.500	13.557	**122.057**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**04** ग्राम			**1729.883**
66			24	बम्बा	बम्बा	1. बम्बा	738.129	492.096	**1230.225**
67					गुड़लू	1. गुड़लू	641.907	88.824	**730.731**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**02** ग्राम			**1960.956**
68			25	बासेन	बासेन	1. बासेन	695.679	157.170	**852.849**
69					पिरई	1. पिरई	839.830	394.279	**1234.109**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**02** ग्राम			**2086.958**
70			26	बोड़ापहरी	बोड़ापहरी	1. बोड़ापहरी	360.479	129.452	**489.931**
71					महुआडीह	1. महुआडीह	374.813	65.516	**440.329**
72						2. रेंगोला	320.192	135.339	**455.531**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**03** ग्राम			**1385.791**

73	बगीचा	कुर्रोग	27	कुर्रोग	कुर्रोग (महादेवडाँड़)	1.कुर्रोग (महादेवडाँड़)	821.817	165.294	**987.111**
74				(महादेवडाँड़)	घुघरी	1. घुघरी	902.185	315.417	**1217.602**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**02** ग्राम			**2204.713**
75			28	घोघर	घोघर	1. घोघर	1882.174	1248.643	**3130.817**
76					सराईपानी	1. सराईपानी	1206.671	280.993	**1487.664**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**02** ग्राम			**4618.481**
77			29	ढोढरअम्बा	ढोढरअम्बा	1. ढोढरअम्बा	728.414	959.634	**1688.048**
78						2. कुरुमढोंढ़ा	191.128	412.637	**603.765**
79					मरोल	1. मरोल	706.315	800.276	**1506.591**
80						2. समदुरा	194.945	278.727	**473.672**
			योगः–		**02** ग्रामपंचायत	**04** ग्राम			**4272.076**
योगः–			**29**	पटवारी हल्के	ग्राम पंचायत **52**	**80** ग्राम	**34545.673**	**23417.260**	**57962.933**
					नगर पंचायत– बगीचा	**1**			

रितेश कुमार अग्रवाल,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 24 फरवरी 2022

क्रमांक 49/दो–3–30/2007.—श्री ओंकार प्रसाद गुप्ता, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बेमेतरा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 09–02–2022 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01–11–2019 से 31–10–2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21–ब/छ.ग./06 दिनांक 31–10–2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,

संजय कुमार श्रीवास्तव,
लेखाधिकारी.